

घोषणा

मैं, _____ एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि
उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सही, पूर्ण एवं मेरे द्वारा दी गई है।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(सील)

प्राधिकृत व्यक्ति :

घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम _____

धारित पद _____

इकाई का नाम _____

कार्यालय का पता _____

(सी.ए./ऑडिटर/बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित)

नोट : पूर्णतः भरा हुआ आवेदन उद्योग आयुक्त. म. प्र., उद्योग संचालनालय, म. प्र.
भोपाल में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-10-05-2018-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने एवं पर्यटकों को विभिन्न अनुभवों सहित आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजनाओं के प्रवर्तन हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 9 अक्टूबर 2019 के साथ परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर संलग्न पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने एवं पर्यटकों को विभिन्न अनुभवों सहित आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजनाओं के प्रवर्तन को अनुमोदित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फैज अहमद किदवई, सचिव.

परिशिष्ट-1

**मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन)
योजना, 2019**

विषय- मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत पंजीकृत किये जाने वाले भवन को "इकाई" से संबोधित किया जायेगा, मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत "इकाई" भूमि/भवन के स्वामी (पंजीकृत/लीजग्राहीता) को "संपत्तिधारक" से संबोधित किया जायेगा एवं मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत "संपत्तिधारक" द्वारा "इकाई" की देखभाल करने हेतु अधिकृत व्यक्ति जो सदैव इकाई में निवासरत हो, को "केयर टेकर" से संबोधित किया जायेगा।

1. योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना :-

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 कहलायेगी।

1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी दिनांक से लागू होगी।

1.4 इस योजना का उद्देश्य -

(अ) देशी-विदेशी पर्यटकों को निफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता/भोजन आदि सुविधा प्रदाय करना।

(ब) देशी-विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति एवं आतिथ्य से परिचित कराना।

(स) नागरिकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जन एवं रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना।

(द) स्थानीय स्तर पर पर्यटकों हेतु आवासीय सुविधाओं का विकास एवं अभिवृद्धि।

(इ) प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटक आवासीय सुविधाओं का विस्तार।

1.5 हॉटल, मोटल, गेस्ट हाउस आदि इस योजनांतर्गत पंजीकृत नहीं किए जायेंगे।

1.6 योजना संचालन के दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक, म.प्र.टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

पंजीयन :-

2.1 इकाई में न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष(12 शैय्या) पर्यटक/ अतिथि रहवास के लिये उपलब्ध रहेंगे।

2.2 बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाई पंजीयन हेतु शुल्क रु. 2000/- एवं जीएसटी होगा।

2.3 इकाई पंजीयन परिशिष्ट 'एक' में निर्धारित मापदंड/ चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा।

- 2.4 पंजीयन तीन (3) साल तक वैध रहेगा।
- 2.5 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रु. 2000/- + जी.एस.टी. शुल्क एवं निर्धारित दस्तावेज, वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
- 2.6 इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक संपत्तिधारक को, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को निर्धारित प्रारूप 'अ' में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/ NEFT अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नहीं होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी।
- 2.7 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये 'इकाई' को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात्-
- (1) यह कि इकाई विशुद्धतः आवासीय हो। इकाई स्वामी अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया केयरटेकर (देखभाल करने वाला) भौतिक रूप से उसमें सतत निवासरत हो। इकाई में किचन का संचालन किया जाता हो।
 - (2) यह कि संपत्ति धारक/ केयरटेकर उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयन कक्षों को ही किराये पर दे सके। जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, जिसमें अधिकतम 12 शैय्या होंगी।
 - (3) यह कि इकाई में स्नानागार, शौचालय, जल, उर्जा/ विद्युत आपूर्ति, फर्नीचर आदि सुविधाएँ उपयुक्त एवं आरामदायक होगी। कक्षों में हवा आने- जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो।
 - (4) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो। परिसर में साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था हो। अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।
 - (5) किसी एक संपत्तिधारक द्वारा एक ही परिसर/ कॉलोनी/ भवन में पृथक-पृथक बेड एण्ड ब्रेकफ्रास्ट इकाईयों का पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा।
 - (6) इकाई तक विधिवत पहुँच मार्ग हो एवं इकाई के आसपास कोई अस्वच्छ/ प्रदूषणकारी गतिविधि संचालित नहीं हो।
 - (7) अन्य कोई शर्तें जो राज्य सरकार या 'बोर्ड' द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावें।
- 2.8 उप कंडिका (2.6) में प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर उसकी स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।

- 2.9 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा। आवेदक द्वारा ऐसे पत्र के जारी होने के 60 दिवस में सुधार न कर पाने पर आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
- 2.10 निरीक्षणकर्ता नियुक्ति के अधिकतम 15 दिवस में ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा एवं अपनी अनुशंसाएँ देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा।
- 2.11 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर अधिकतम 15 दिवस में इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित **प्रारूप 'ब'** में प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये वैध होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये। इकाई के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा।
- 2.12 'इकाई' के पंजीयन की संपूर्ण प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा।
- 2.13 इस योजना के अंतर्गत स्थापित इकाईयों की एक डायरेक्ट्री विहित **प्रारूप 'स'** में संधारित की जायेगी।
- 2.14 पंजीयन प्रमाण पत्र की एक प्रति निकटस्थ पुलिस थाना प्रभारी को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।
3. **योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण कार्य :-**
- प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नानांकित अशासकीय सदस्य द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रुपये एक हजार प्रतिदिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।
4. **इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई 'इकाई' निर्हर होगी:-**
- (क) यदि सम्पत्तिधारक पर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरुद्ध रहा हो, या
- (ख) यदि सम्पत्तिधारक/ केयरटेकर दिवालिया हो गया हो, या
- (ग) यदि इकाई का नाम इस योजना की कंडिका-9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो।
5. **सम्पत्तिधारक का दायित्व होगा कि वह:-**
- 5.1 अतिथि/पर्यटक को स्वच्छ एवं सुविधाजनक आवास एवं नाश्ता (ब्रेकफास्ट) उपलब्ध कराये।

- 5.2 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप 'द' में एक पंजी संधारित करे, जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे पाँच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा।
- 5.3 बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाई में रुकने वाले अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को मासिक आधार पर प्रेषित करना होगा। विदेशी अतिथियों का ब्यौरा स्थानीय पुलिस को उनके आगमन के 24 घंटे के अंदर देना होगा।
- 5.4 इकाई में कार्यरत केयरटेकर/कर्मचारियों का सत्यापन स्थानीय पुलिस से कराया जाना होगा।
- 5.5 इकाई को अच्छी हालत में संधारित रखना होगा। भवन की साफ-सफाई, सुरक्षा (जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है) का प्रबंध करना होगा।
- 5.6 'इकाई' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कक्षों का किराया, खाद्य पदार्थों की दरों के साथ, चेक इन/आउट का समय तथा इकाई में कार्यरत कर्मचारियों के नामों की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
- 5.7 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।
- 5.8 अतिथियों को ठहरने तथा खान-पान की सुविधा उनकी दरों, इकाई में चेक इन तथा चेक आउट का समय आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।
- 5.9 अतिथियों को खान-पान तथा अन्य सुविधाएँ जैसा कि वादा किया जाये उपलब्ध कराना होगा।
- 5.10 कर्मचारियों के लिए वर्दी निधारित करना होगा। वर्दी में दिखाई देने वाले स्थान पर पहचान लगायी होगी।
- 5.11 इकाई के विरुद्ध शिकायत करने के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक, ई-मेल आई.डी. को सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा।
- 5.12 इकाई द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में यदि कोई परिवर्तन हो तो प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उसके अनुरूप प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर भेजना होगा।
- 5.13 अतिथियों की सुरक्षा संपत्तिधारक/केयरटेकर की जिम्मेदारी होगी।

6. सम्पत्तिधारक/केयर टेकर :-

- 6.1 पृथक फ्रंट आफिस/स्वागतकक्ष संधारित नहीं करेगा तथा इकाई को सामान्य आवासीय भवन की तरह रखेगा।
- 6.2 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो पड़ोसियों तथा मोहल्ले/कॉलोनी के निवासियों की निजता या अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो।
- 6.3 किसी भी व्यक्ति को इकाई की स्थापना/सुविधाओं के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा।

- 6.4 अतिथि के द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखेगा, जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विधि सम्मत निर्देश न दिये गये हों।
- 6.5 अतिथि की निजता का सम्मान करेगा।
- 6.6 अतिथि को स्थान, पर्यटक स्थलों, बाजारों, परिवहन आदि के संबंध में सही व प्रामाणिक जानकारी देगा।
- 6.7 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा।
- 6.8 संपत्तिधारक द्वारा आय-व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- 6.9 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छः माही आधार पर उक्त व्यवस्था/ प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगा।
- 6.10 सम्पत्तिधारक/ केयरटेकर/ इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्ति/यों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्ति/यों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. अतिथि के दायित्व :-

अतिथि अपने अन्य सामान्य दायित्व के साथ निम्न दायित्वों का पालन करेगा, अर्थात :-

- 7.1 वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा।
- 7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा। वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे पड़ोसी/मोहल्ले/कॉलोनी में बाधा(nuisance) उत्पन्न होता हो।
- 7.3 उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों की निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं करेगा।
- 7.4 वह स्वतंत्र किचन संचालित नहीं करेगा।
- 7.5 जानबूझकर या असावधानीवश उसके या ऐसे व्यक्ति जिसे उसने अनुमति दी हो, द्वारा इकाई में यदि कोई क्षति पहुंचे तो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। ऐसी क्षति में सामान्य टूट-फूट शामिल नहीं है।
- 7.6 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह संपत्तिधारक/केयरटेकर को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाई के नियमों का पालन करेगा।
- 7.7 वह आगन्तुक पंजी में दर्ज कराये अतिथि से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को निजी तौर पर रात्रि में स्वयं के साथ इकाई में रुकने की अनुमति नहीं देगा/रुकने की अनुमति हेतु संपत्तिधारक को बाध्य नहीं करेगा।
- 7.8 आवास छोड़ते समय विधिवत चेक आउट करायेगा एवं अतिथि पंजी में प्रस्थान दर्ज करेगा।

7.9 परिसर के सुचारु संचालन के लिए बनाये गये नियम निर्देशों का पालन करेगा।

7.10 विदेशी अतिथि आगमन/ चेक इन के 24 घण्टे के अन्दर स्थानीय पुलिस अधिकारी को अपने आगमन की सूचना देंगे।

8. अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण

8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/ सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाये।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये।

8.4 उक्त फीडबैक/ सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/ दण्ड लगाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/ सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जायेगा।

8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जायेगी। सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जायेगी।

8.7 जब कोई सम्पत्तिधारक/यूजर टेकर अतिथि को गलत जानकारी देता है या गलत पदार्थ या अन्य सुविधाएँ जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत ई-मेल (md@mptourism.com) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आई.डी. होना चाहिये।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती हैं। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।

8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत को जांच तथा सम्पत्तिधारक को पक्ष प्रस्तुति का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात या तो समाधान कारक रूप से निरस्त करेगा अथवा शिकायत सत्य प्रमाणित होने पर इकाई का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।

8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन, को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. पंजीयन निरस्तीकरण एवं डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना :-

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात्-

- (क) यदि संपत्तिधारक/केयरटेकर में बिना अनुमति परिवर्तन कर दिया गया हो,
- (ख) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर के विरुद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,
- (ग) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर दिवालिया घोषित हो गया हो,
- (घ) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो,
- (च) यदि इकाई से पड़ोसी, मोहल्ले/कॉलोनी निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया हो,
- (ङ) अन्य कोई उपयुक्त कारण,

9.2 उप कंडिका (1) में की गयी कार्रवाई से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पत्तिधारक को अभियोजित करने की कार्रवाई अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9.3 इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक सम्पत्तिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए 15 दिवस अवधि युक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाम डायरेक्ट्री से हटाया जाना प्रमाणित हो। सम्पत्तिधारक को पक्ष प्रस्तुति का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे।

9.4 अतिथि शिकायत पर निरस्त पंजीयन को छोड़कर अन्य नियम पालन संबंधी कारणों से इकाई का पंजीयन निरस्त होने पर, वांछित सुधार के बाद पुनः पंजीयन के लिए आवेदन ग्राह्य किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण उपरांत प्रबंध संचालक द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

10. इकाई को प्राप्त सुविधाएँ:-

10.1 इकाई जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा।

10.2 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी) लागू होगा।

10.3 इकाई को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

10.4 योजना के अंतर्गत प्रचलित नियमों के अंतर्गत करों, फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व इकाई का होगा।

10.5 इकाई को फूड तथा रेस्टोरेन्ट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियाँ :-

11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पर पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा।

12. प्रचार-प्रसार:-

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ऐसी पंजीकृत इकाईयों का प्रचार-प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाईयों की डायरेक्ट्री/प्रोफाइल समय-समय पर (आनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जायेगी।

13. प्रोत्साहन:-

13.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म पुरस्कार (अवार्ड्स) अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई को अवार्ड दिया जायेगा।

13.2 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/ भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो/ फेयर में भाग ले सकेगा।

13.3 होम स्टे का प्रमोशन / वेबसाइट बनाने हेतु व्यय का 100% (सौ फीसदी) अथवा अधिकतम रु. 10,000/- सम्पत्तिधारक को एक बार (One time) देय होगा। संबंधित प्रोत्साहन हेतु प्रपत्र -1 में आवेदन किया जा सकेगा।

13.4 सम्पत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।

13.5 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो/बायर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी-1। श्रेणी देश में/विदेश भ्रमण हेतु इकनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रुपये 50,000/- का अनुदान दिया जाएगा।

13.6 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगा:-

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 15,000/- अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 20,000/- अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रुपये 25,000/- अनुदान

न्यूनतम पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.7 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र-1 में किया जायेगा। आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र-2 अनुसार होगी।

14. प्रशिक्षण:-

संभावित बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट धारकों/पंजीकृत बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट धारकों को सामान्य संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलता, सुरक्षा प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

15. बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट विकास में निजी क्षेत्र/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका:-

15.1 प्रदेश में बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना हेतु पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/ सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

15.2 ऐसी संस्थाएँ जो पर्यटन विभाग/ बोर्ड द्वारा ग्राम स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित/ सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/ मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी।

16. योजना को लागू करना :-

इस योजना को लागू करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन :

इस योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा।